

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2023

विषय : 30प्र0 वस्त्र एवं गारमेंटिंग पालिसी-2022 के पैरा-4.6(d) के अनुसार बुन्देलखण्ड में अभिनव पद्धतियों, जैसे टाइम ऑफ द डे मीटरिंग और नवीकरणीय स्रोतों के दोहन से विद्युत दरों को कम करने के प्रयास किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया 30प्र0 वस्त्र एवं गारमेंटिंग पालिसी-2022 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर 4.6 (d) में यह प्राविधान किया गया है कि "विशेष रूप से बुन्देलखण्ड में अभिनव पद्धतियों, जैसे टाइम ऑफ द डे मीटरिंग और नवीकरणीय स्रोतों के दोहन से विद्युत दरों को कम करने के प्रयास किये जायेंगे।"

2- उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विद्युत दरों का निर्धारण विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया जाता है। टाइम ऑफ द डे मीटरिंग की व्यवस्था निगम की नीति के अनुसार की जायेगी।

कृपया उक्त के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय


(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या /24-पी-3-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- अपर मुख्य सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग उ0प्र0 शासन
- 2- अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनउ
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०टा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनउ
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनउ
- 5- गार्ड फाइल

आज्ञा से,


(सर्वेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।